समक्ष: एस. एस. सोधी, न्यायमूर्ति

फूल कंवर और अन्य- याचिकाकर्ता

बनाम

बारू राम और अन्य- उत्तरदाता

1989 का सिविल संशोधन संख्या 2562

23 मई, 1990

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908- आदेश 8, नियम 10 और धारा 115- प्रतिवादी के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की गई थी- एकतरफा आदेश अंतिम हो गया- प्रतिवादी, उसके बाद, अपने मामले के समर्थन में साक्ष्य का नेतृत्व नहीं कर सकता है- प्रतिवादी को वादी के मामले के झूठ या कमजोरी को इंगित करने का केवल एक सीमित अधिकार है।

अभिनिर्धारित किया गया कि एक प्रतिवादी जिसके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई है और जिसे कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति दी गई है, उसे वादी के मामले में झूठ या कमजोरी को इंगित करने का सीमित अधिकार है। यह, यह प्रदर्शित करके किया जा सकता है कि उसके गवाह सच नहीं बोल रहे थे या वादी के नेतृत्व में साक्ष्य उसके मामले को स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन प्रतिवादी अपने दम पर साक्ष्य का नेतृत्व नहीं कर सकता है।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 115 के अधीन श्री आर. के. खनगवाल, एच. सी. एस., उप-न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी, हांसी, दिनांक 22 अगस्त, 1989 के न्यायालय के आदेश के विरुद्ध याचिका, जिसमें यह आदेश दिया गया था कि प्रतिवादी अपनी गवाही देने के हकदार हैं और प्रतिवादी साक्षियों के लिए मामले को 6 सितंबर, 1989 के लिए स्थगित कर दिया गया है।

दावा: यह घोषणा करने के लिए वाद कि निर्दिष्ट बिक्री को अमान्य घोषित किया जाए और वादी और प्रोफार्मा उत्तरदाताओं के अधिकारों पर बाध्यकारी नहीं होना चाहिए। ऐसा विक्रय-विलेख 31 मई, 1984 को निर्दिष्ट खसरा संख्या 42/5-2 माप 5 कनाल 8 मरला का वर्ष 1982-83 के लिए जमाबंदी के माध्यम से ग्राम मोल्ला, तहसील हांसी, जिला हिसार में 31 मई, 1984 को पंजीकृत है। इसे प्रतिवादी संख्या 1 बारू राम द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 से 11 के पक्ष में निष्पादित किया गया था। हालांकि, बारू राम [प्रतिवादी संख्या 1] को विभाजन के बिना विशिष्ट खसरा संख्या को अलग करने का कोई अधिकार नहीं है [जिसमें खेवट संख्या 114, खतौनी संख्या 192 से 194 और खसरा संख्या 221/0-14,30/7-8-0,30/16-712,17/8-0,25/1-2-12,42/5-2-58,30/24-8-0,48/1-3,48/7-8-0,13/7-12,4/0-12,30/4-8-0,5/8-0,14/8-0,48/8-7-12, कुल 95 कनाल, 14 मार्लस, 1982 के वर्षों के लिए हंसा तहसील, हंसा में स्थित गांव जामबंदी, 1982-8 के दृश्य]। वादी और प्रोफार्मा प्रतिवादी प्रतिवादी नंबर 1 बारू राम के साथ सह-भागीदार हैं। इसके अलावा, इस आशय के निषेधाज्ञा के लिए प्रार्थना करते हुए मुकदमा दायर किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 2 से 11 को किसी भी तरह से हस्तक्षेप करने और उपरोक्त कुल भूमि [5 कनाल 8 मार्लस] का कब्जा लेने से रोका जाए। ग्राम मोल्ला, तहसील हांसी, जिला हिसार में स्थित विशिष्ट खसरा संख्या 42/5/2, कुल 5 कनाल 8 मरला को मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से अलग करने, गिरवी रखने, पट्टे पर देने के लिए उनके नामों में उत्परिवर्तन को मंजूरी देने की भी प्रार्थना की गई है।

पुनरीक्षण में दावाः निचली अदालत के आदेश को उलटने के लिए।

तिथि 23 मई, 1990

याचिकाकर्ताओं की ओर से आर. एल. सरीन, वरिष्ठ अधिवक्ता, जयश्री ठाकर, अधिवक्ता और आशीष हांडा, अधिवक्ता

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर मलिक

आदेश

एस. एस. सोधी, न्यायमूर्ति (Oral)

(1) जब प्रतिवादी के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही करने का निर्देश देने वाला आदेश अंतिम हो जाता है और प्रतिवादी बाद में पेश होता है और कार्यवाही में शामिल होना चाहता है, तो क्या उसे साक्ष्य का नेतृत्व करने और गवाहों की जांच करने की अनुमति दी जा सकती है? यहीं पर विवाद खड़ा हो गया है।

(2) प्रतिवादी (बारू राम) के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की गई और यह आदेश उसके खिलाफ अंतिम हो गया। बाद में, जब वह अदालत में पेश हुए, तो निचली अदालत ने न केवल उन्हें कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दी, बल्कि उन्हें अपने मामले के समर्थन में सबूत पेश करने की भी अनुमति दी गई। ऐसा करने में, यह राधामोनी पधीरी बनाम तन्कुडू जगनाथम और एक अन्य मामले में निर्णय का अनुसरण करने के लिए अभिप्रेत था, जहां यह अभिनिर्धारित किया गया था कि प्रतिवादी जिसे पूर्व पक्ष के खिलाफ कार्यवाही की गई थी और उसे कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति दी गई थी, वह न केवल वादी के गवाहों से जिरह करने का हकदार था, बल्कि अपने मामले के समर्थन में साक्ष्य का नेतृत्व करने का भी हकदार था।

(3) तथापि, इस बिन्दु पर उच्चतम न्यायालय का दृष्टिकोण इसके विपरीत है और इसे प्रबल होना चाहिए। मोडुला इंडिया बनाम कामाख्या सिंह देव में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जब किसी प्रतिवादी का बचाव रद्द कर दिया जाता है, तो प्रतिवादी को वादी के गवाहों से जिरह करने और तर्कों को संबोधित करने का भी अधिकार है। हालाँकि, उन्हें अपने मामले के समर्थन में सबूत पेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। दूसरे शब्दों में, उसका अधिकार वादी के मामले में झूठ या कमजोरी को इंगित करने तक सीमित था, यह प्रदर्शित करके कि उसके गवाह सच नहीं बोल रहे थे या वादी के नेतृत्व में साक्ष्य उसके मामले को स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। लेकिन वह अपने दम पर सबूत पेश नहीं कर सकते।

(4) इसलिए, तय किया गया निष्कर्ष यह है कि निचली अदालत ने स्पष्ट रूप से प्रतिवादी को सबूत देने का हकदार ठहराते हुए गलती की, जिसका नेतृत्व वादी ने किया था। नतीजतन, निचली अदालत के विवादित आदेश को तदनुसार संशोधित किया जाता है।

(5) इस प्रकार यह पुनरीक्षण याचिका लागत के साथ स्वीकार की जाती है। परामर्श शुल्क 300 रुपये।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रमनीक कौर

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

फ़रीदाबाद, हरियाणा